

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक एफ 11(167) एससी एसटी ओबीसी / जा ४५ / डीडीबीसी / सामान्य / 2021/48742-75 जयपुर दिनांक 18/10/2021

समस्त जिला कलेक्टर।

परिपत्र

विषय :- अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने तथा आर्थिक कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को पर Income & Asset Certificate जारी किये जाने के संबंध में।

(संदर्भ :- मंत्रीमण्डल आज्ञा 134/2021 दिनांक 28.09.2021)

जैसा कि विदित है कि राज्य में पायः अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी किये जाने हेतु प्रमाण पत्र धारक के नाम के आगे केवल उसके पिता के नाम का अंकन किया जा रहा है।

परन्तु बदलते सामाजिक परिवेश में ऐसी एकल महिलाएँ जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं या पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रहती हैं, तथा ऐसी एकल महिलाएँ जिनके बच्चों के पिता या उनके पिता की जाति की कोई जानकारी नहीं है, तो उनके बच्चों के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

इसी तरह आर्थिक कमजोर वर्ग की ऐसी एकल महिलाएँ जो कि कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं, या पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रहती हैं तथा ऐसी महिलाएँ जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं है एवं ना ही पिता की जाति के बारे में पता हो, तो वर्तमान में ऐसी महिलाओं के बच्चों के Income & Asset Certificate माता व परिवार के अन्य सदस्यों की आय के आधार पर एवं माता के नाम से जारी नहीं किये जा रहे हैं।

अतः उक्त क्रम में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने तथा आर्थिक कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को Income & Asset Certificate जारी किये जाने के संबंध में मंत्रीमण्डल आज्ञा 134/2021 दिनांक 28.09.2021 के अनुपालना में निम्नानुसार निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:-

(क.) अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में:-

क्र.स.	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	ऐसी एकल महिलाएँ जो कि कानूनी रूप से तलाक शुदा हैं एवं उक्त महिला एवं उसके पति की जाति समान हो तो ऐसी एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र उनकी माता के नाम से जारी हो सकता है या नहीं।	ऐसी एकल महिलाएँ जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं एवं उक्त महिला एवं उसके पति की जाति समान हैं तो ऐसी एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण-पत्र माता के नाम से भी जारी किया जा सकता है।
2.	ऐसी एकल महिलाएँ जो कि पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रहती हैं तथा उक्त महिला एवं उसके पति की जाति समान हो लेकिन कानूनी रूप से उस महिला का तलाक नहीं हुआ हो तो क्या ऐसी एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र	ऐसी एकल महिलाएँ जो पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रहती हैं तथा उक्त महिला एवं उसके पति की जाति समान हो, लेकिन कानूनी रूप से उस महिला का तलाक नहीं हुआ हो एवं बच्चे माता के साथ रहते हैं तो ऐसी एकल महिलाओं के

32

	उनकी माता के नाम से जारी हो सकता है या नहीं।	बच्चों का जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी किया जा सकता है।
3.	ऐसी महिलाएँ जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं है एवं ना ही पिता की जाति के बारे में पता हो तो ऐसी महिलाओं के बच्चों को महिला की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है या नहीं।	ऐसी एकल महिलाएँ जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं है एवं ना ही पिता की जाति के बारे में पता है, ऐसी महिलाओं के बच्चों का महिला की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के साथ यद्यपि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आम तौर पर जाति प्रमाण-पत्र पिता की जाति के आधार पर ही बनाये जाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति, तलाकशुदा, परिव्यक्ता व विधवा महिला के बच्चों के प्रमाण-पत्र उसकी माता की जाति समुदाय के आधार पर बनाये जा सकते हैं, यदि बच्चों का लालन-पालन उनकी माता के सान्निध्य में हुआ हो।

(ख.) आर्थिक कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को माता की आय के आधार पर Income & Asset Certificate जारी किये जाने के संबंध में

क्र.सं.	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की ऐसी एकल महिलाएँ जो कि कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं एवं उक्त महिला एवं उसके पति भी अनारक्षित वर्ग (अर्थात् एससी, एसटी एवं ओबीसी के अतिरिक्त) से संबंध रखता हो, चाहे उसकी जाति उस अनारक्षित वर्ग में दोनों की समान हो या दोनों की भिन्न-भिन्न हो तो ऐसी महिला को स्वयं या उसकी संतान को माता के स्वयं भार साधन (Possession) तथा उस एकल महिला के माता-पिता व 18 साल से कम आयु के उनके बच्चों की संयुक्त निर्धारित वार्षिक आय एवं सम्पत्ति की गणना के आधार पर उस एकल महिला को स्वयं एवं उसके बच्चों को क्या आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) का Income and Asset Certificate जारी किया जा सकता है एवं दूसरा क्या उस एकल महिला को उसके पिता के नाम तथा उसके बच्चों को उसके स्वयं पिता के नाम के स्थान पर उनकी माता के नाम उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की ऐसी एकल महिलाएँ जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं उनके मामले में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) का Income & Asset Certificate जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा न्यायालय से तलाक की डिक्री में वर्णित तथ्यों के आधार पर Certificate जारी करने के बारे में निर्णय लिया जाना है जो प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा अर्थात् माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री आदेश में महिला को कोई सम्पत्ति तथा भत्ता यदि देय हो तो उसे महिला की आय/सम्पत्ति की गणना में जाड़ा जायेगा।
2.	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की ऐसी एकल महिलाएँ जोकि पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रहती हैं तथा उक्त महिला एवं उसके पति भी अनारक्षित वर्ग (अर्थात् एससी, एसटी एवं ओबीसी के अतिरिक्त) से संबंध रखता हो, चाहे उसकी जाति उस अनारक्षित वर्ग में दोनों की समान हो या दोनों की भिन्न-भिन्न हो तथा पति की आय एवं सम्पत्ति की गणना किये बिना क्या ऐसी एकल महिला के माता-पिता व 18 साल	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की ऐसी एकल महिलाएँ जो पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रहती हैं, उन्हें बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिधि अनुसार अपने पति से अलग नहीं माना जा सकता है। अर्थात् पति की आय को परिवार की वार्षिक आय की गणना में शामिल किया जायेगा।

सं कम आयु के उनके बच्चों की संयुक्त निर्धारित वार्षिक आय एवं सम्पत्ति की गणना के आधार पर उस एकल महिला को स्वयं एवं उसके बच्चों को क्या आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) का Income and Asset Certificate जारी किया जा सकता है एवं दूसरा क्या उस एकल महिला को उसके पिता के नाम तथा उसके बच्चों को उसके स्वयं पिता के नाम के स्थान पर उनकी माता के नाम उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

3. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) ऐसी महिलाएं जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं है एवं ना ही पिता की जाति के बारे में पता होता है क्या ऐसी एकल महिला के माता-पिता व 18 साल से कम आयु के उनके बच्चों की वार्षिक आय एवं सम्पत्ति की गणना के आधार पर उस एकल महिला को स्वयं एवं उसके बच्चों को क्या आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) का Income and Asset Certificate जारी किया जा सकता है एवं दूसरा क्या उस एकल महिला को उसके पिता के नाम तथा उसके बच्चों को उसके स्वयं पिता के नाम के स्थान पर उनकी माता के नाम उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के ऐसी महिलाएं जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं है, उसमें महिला के पति को अनुपस्थित मानते हुए परिवार के शेष सदस्यों की आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

अतः समस्त सक्षम अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने तथा आर्थिक कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को Income & Asset Certificate जारी किये जाने के संबंध में उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही सम्पादित करावें।

(डा. समित शर्मा)

शासन सचिव

जयपुर दिनांक 18/10/2021

क्रमांक एफ 11(167) एससी एसटी ओबीसी / जा.प्र.प / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2021/48 776-800

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) प्रमुख सचिव / सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3) वरिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव शासन सचिवालय जयपुर।
- 5) अध्यक्ष राजस्थान मण्डल राजस्थान अजमेर
- 6) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार, जयपुर
- 7) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 8) सचिव, राजस्थान अधिनस्थ मंत्रालय एवं कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर
- 9) संयुक्त निदेशक (आई टी) मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 10) सक्षित पत्रावली

(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव